डॉ॰ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: COE/24......./2024 दिनांक: 16-01-2024

कार्यालय–ज्ञाप

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत संचालित स्नातक स्तर (बी0ए0, बी0एससी0 एवं बी0कॉम0) एवं परास्नातक स्तर (एम0ए0, एम0एससी0 एवं एम0कॉम0) में सी0बी0सी0एस0 प्रणाली (चयन आधारित क्रेडिट सिस्टम) के तहत स्नातक स्तर पर ग्रेडिंग प्रणाली हेतु शासनादेश संख्याः– 1032/सत्तर–3–2022–08 (35)/2020 दिनांक 20 अप्रैल, 2022 एवं परास्नातक स्तर पर ग्रेडिंग प्रणाली हेतु अधिसूचना संख्याः शैक्षिक/78/2022 दिनांक 17.11.2022 लागू किये गए थे।

माननीय कुलपति महोदया द्वारा गठित समिति की संस्तुति पर सत्र को नियमित किये जाने एवं छात्रों के हितों के दृष्टिगत आंशिक संशोधन किये गये हैं। यह संशोधन नियम सत्र 2022–23 के परीक्षाफलों पर लागू होंगे।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक, सम्बद्ध महाविद्यालय को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना से अवगत होते हुए छात्र–छात्राओं को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. उपकुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय।
3. अधीक्षक, कुलपति कार्यालय को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, कुलसचिव कार्यालय/गोपनीय/परीक्षा।
5. जन सम्पर्क अधिकारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को छात्रहित में दैनिक समाचार पत्रो में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. प्रभारी, वेबसाइट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. अधिकृत एजेन्सी–2023 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों की लॉगिन आई0डी0 पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।
8. गार्ड फाइल।

परीक्षा नियंत्रक

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत बी0ए0, बी0एससी0 एवं बी0कॉम0 के प्रथम तीन वर्ष हेतु ग्रेडिंग प्रणाली के सम्बन्ध में सुझाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, स्नातक स्तर पर सत्र 2021–22 से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में लागू की गई है। इस हेतु शासनादेश संख्याः 1567/सत्तर–3–2021–16 (26)–2011 टी.सी. दिनांक 13 जुलाई 2021 के संदर्भ में सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक ग्रेडिंग प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे सभी विश्वविद्यालयों में समान व्यवस्था हो तथा विद्यार्थी का एक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में ABACUS-UP के द्वारा स्थानांतरण किया जा सके। अतः स्टीयरिंग कमेटी द्वारा प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू किये जाने की संस्तुति की गयी है, जो यूजीसी के दिशा–निर्देशों पर आधारित है।

तालिका–1 **(Table-1)**

लैटर ग्रेड	विवरण	अंको की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A+	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-40	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	0
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

2. उत्तीर्ण प्रतिशत

2.1 Qualifying पेपर्स में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not Qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।

2.2 उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) Credit Course है तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत अब तक प्रचलित 33 प्रतिशत ही होगा।

2.3 छः सह–पाठ्यक्रम कोर्स (co-curricular courses) तथा तृतीय वर्ष में लघु शोध (Minor Project) Qualifying हैं तथा इनके उत्तीर्णांक 40 % होगें।

2.4 चार कौशल विकास कोर्स (Skill development/Vocational course) भी Credit Course है तथा इनके उत्तीर्णांक भी 40% ही होगें। शासनादेश संख्याः 2058/सत्तर–3–2021–08 (33)-2020 टी.सी. दिनांक 26 अगस्त 2021 में प्रदान की गई व्यवस्था के अनुक्रम में कौशल विकास/रोजगार परक कोर्स/पेपर का मूल्यांकन कुल पूर्णांक 100 में से होगा,

जिनमें से प्रशिक्षण/ट्रेनिंग/प्रैक्टिकल आधारित कार्य का मूल्यांकन 60 अंकों में से होगा तथा सैद्धांतिक (Theory) आधारित कार्य का मूल्यांकन 40 अंकों में से होगा। कौशल विकास कोर्स/पेपर में कुल पूर्णांक 100 में से न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 होंगे। प्रशिक्षण/ट्रेनिंग एवं सैद्धांतिक (Theory) में अलग–अलग कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

2.5 सभी विषयों के मुख्य/माइनर/सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।

2.6 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।

2.7 सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 30 अंक (75 का 40 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे।

2.8 किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व बाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) अथवा 40 (सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध विषय में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेगें।

2.9 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace marks) नहीं दिये जायेगें।

3. कक्षान्नोति (Promotion)

3.1 विद्यार्थी को वर्तमान सेमेस्टर से अगले सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो। वर्तमान सेमेस्टर में जिस पेपर में विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होगा, उसे उस पेपर को बैक पेपर (Re-Exam) के रूप में देना होगा (पूर्व नियम को इस नियम से प्रतिस्थापित किया गया)।

3.2 इस नियम को विलोपित (Delete) कर दिया गया है।

3.3 इस नियम को विलोपित (Delete) कर दिया गया है।

4. बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) परीक्षा

4.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा नही होगी।

4.2 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टररर्स में ही उपलब्ध होगी। विद्यार्थी सुधार (Improvement) की परीक्षा केवल किन्हीं भी दो पेपर में दे सकता है।

4.3 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है, में उपलब्ध होगा।

4.4 विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा काल बाधित ना होने तक, चाहे कितनी भी बार दे सकता है।

5. काल अवधि

किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्याः– (Explanation) यदि विद्याथी सततता में तीनों वर्ष की पढ़ाई करता है, तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेगें। किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है, तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए कभी भी वापस आ सकता है तथा उसे आगे के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेगें।

6 CGPA की गणना

6.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जाएगीः

J th सेमेस्टर के लिए SGPA (Sj) =Σ(Ci x Gi) /ΣCi	यहाँ परः Ci = number of credits of the ith course in jth semester. Gi= grade point scored by the student in the ith course in jth semester
CGPA = Σ(Cj x Sj) /ΣCj	यहाँ परः Sj= SGPA of the jth semester. Cj= total number of credits in the jth semester.

6.2 CGPA को प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगाः

समतुल्य प्रतिशत = CGPA x 9.5

6.3 विद्यार्थियो को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जाएगीः

तालिका–2 (Table-2)

प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 से कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA

7. किसी भी विद्यार्थी को सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री तब ही प्रदान किया जायेगा, जबकि उसने अपने पूर्ण आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लिये हो तथा समस्त अनिवार्य Qualifying Papers सह–पाठ्यक्रम (co-curricular) एवं लघु शोध (Minor Project) उत्तीर्ण कर लिये हो।

स्नातकोत्तर / परास्नातक (एम0ए0, एस0एम0सी0, एम0कॉम0) हेतु ग्रेडिंग प्रणाली।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर शासनादेश सख्या 1567 / सत्तर–3–2021–16 (26) / 2011 टी.सी. दिनाकं 13 जुलाई 2021 द्वारा सत्र 2021–2022 से तथा स्नातकोत्तर / परास्नातक स्तर पर शासनादेश संख्या–401 / सत्तर–3–2022, दिनांक 09 फरवरी 2022 के द्वारा सत्र 2022–23 से लागू की गई। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0काम0 के तीन वर्ष हेतु 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली शासनादेश संख्या 1032 / सत्तर–3–2022–08 (35) / 2020 दिनाकं 20 अप्रैल 2022 के द्वारा सत्र 2021–22 से लागू की गई है। यह ग्रेडिंग प्रणाली यूजीसी के दिशा निर्देशो पर आधारित है। उक्त के क्रम में स्नातकोत्तर / परास्नातक स्तर पर सत्र 2022–23 से डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जाएगी।

तालिका–1 (Table-1)

लैटर ग्रेड	विवरण	अंको की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A+	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	36-40	4
F	Fail	0-35	0
AB	Absent	Absent	0
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

2. उत्तीर्ण प्रतिशत

2.1 मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्यके कोर्स / पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) पूर्णांक 100 के Credit course है तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत 36 प्रतिशत होगा। वृहद शोध परियोजना के कोर्स / पेपर भी पूर्णांक100 के Credit course है तथा इनमें उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत होगा।

2.2 सभी विषयों के मुख्य / माइनर / वृहद शोध परियोजना के प्रत्येक कोर्स / पेपर (थ्योरी एव ं प्रेक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 मे ं से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्याकंन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।

2.3 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स / पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यनू तम 27 अंक (75 का 36 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर पूर्णांक 100 में से न्यनूतम 36 अंक प्राप्त करने होंगे।

2.4 वृहद शोध परियोजना के कोर्स/ पेपर में उत्तीर्ण होने हेतु विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 100 अंकों में से न्यूनतम 40 अंक लाने आवश्यक होंगे।

2.5 किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आंतरिक परीक्षा में शून्य अंक प्राप्त होते हैं तो उस स्थिति में पेपर उत्तीर्ण करने हेतु विद्यार्थी को बाहय परीक्षा में पूर्णांक 75 में से न्यनूतम उतीणांर्क 36 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) अंक प्राप्त करने आवश्यक होगें। आन्तरिक मूल्याकं न में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेगें।

2.6 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace marks) नहीं दिये जायेगें।

2.7 स्नातक (शोध सहित) (Graduation with Research) अथवा परास्नातक/स्नातकोत्तर (Post Graduation) उपाधि प्राप्त करने हते ु न्यूनतम CGPA 4.5 प्राप्त करना आवश्यक होगा।

3. <u>कक्षान्नोति (Promotion)</u>

3.1 विद्यार्थी को वर्तमान सेमेस्टर से अगले सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो। वर्तमान सेमेस्टर में जिस पेपर में विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होगा, उसे उस पेपर को बैक पेपर (Re-Exam) के रूप में देना होगा (पूर्व नियम को इस नियम से प्रतिस्थापित किया गया)।

3.2 इस नियम को विलोपित (Delete) कर दिया गया है।

3.3 स्नातकोत्तर कार्यक्रम का प्रथम वर्ष उच्च शिक्षा का चतुर्थ वर्ष होगा। इसको न्यनूतम 4.5 CGPA के साथ पूर्ण करके यदि कोई विद्यार्थी छोड़कर जाना चाहता है तो उसे स्नातक (शोध सहित) (Graduation with Research) की उपाधि दी जायेगी। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों को उपलब्ध होगी जिन्होंने उ0प्र0 में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तगर्त त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि पूर्ण की है।

4. <u>बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement)</u>

4.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा नही होगी।

4.2 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टररर्स में ही उपलब्ध होगी। विद्यार्थी सुधार (Improvement) की परीक्षा केवल किन्हीं भी दो पेपर में दे सकता है।

4.3 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/ पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है, में उपलब्ध होगा।

4.4 विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा काल बाधित ना होने तक चाहे कितनी भी बार दे सकता है।

4.5 <u>काल अवधिः–</u>किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्याः– (Explanation) यदि विद्यार्थी सततता में दोनों वर्ष की पढ़ाई करता है, तो उसे अधिकतम छः वर्ष मिलेगें। किन्तु यदि विद्यार्थी प्रथम वर्ष के पश्चात् स्नातक (शोध सहित) की उपाधि लेकर चला जाता है तो वह बाकी के एक वर्ष की पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए कभी भी वापस आ सकता है तथा उसे आगे के एक वर्ष की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष मिलेगें।

5. <u>CGPA की गणना</u>

5.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जाएगीः

Jth सेमेस्टर के लिए SGPA (Sj) =Σ(Ci x Gi) /ΣCi	यहाँ परः Ci = number of credits of the ith course in jth semester. Gi= grade point scored by the student in theith course in jth semester
CGPA = Σ(Cj x Sj) /ΣCj	यहाँ परः Sj= SGPA of the jth semester. Cj= total number of credits in the jth semester.

5.2 CGPA को प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगाः

समतुल्य प्रतिशत = CGPA x 9.5

5.3 विद्यार्थियो को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जाएगीः

तालिका–2 (Table-2)

प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 से कम अथवा बराबर CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.0 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA

5.4 किसी भी विद्यार्थी को डिग्री तब ही प्रदान की जायेगी जबकि उसने अपने पूर्ण आवश्यक क्रेडिटस (Credits) प्राप्त कर लिये हो।

Regarding Selection of MINOR paper as per NEP-2020

As per NEP-2020 a student has to pass a MINOR paper in Undergraduate First Year (either in I or II Semester), Undergraduate Second Year (either in III or IV Semester) and Postgraduate First Year (either in VII or VIII Semester). It is to be mentioned here about the selection of MINOR paper at different levels:

S.No.	Level		Options
1	Undergraduate First Year (either in I or II Semester)	If opted in I Semester	May select any paper of minimum 04 credits among the Papers taught in Semester I.
		If opted in II Semester	May select any paper of minimum 04 credits among the Papers taught in Semester II.
2	Undergraduate Second Year (either in III or IV Semester)	If opted in III Semester	May select any paper of minimum 04 credits among the Papers taught in Semester I and III.
		If opted in IV Semester	May select any paper of minimum 04 credits among the Papers taught in Semester II and IV.
3	Postgraduate First Year (either in VII or VIII Semester)	If opted in VII Semester	May select any paper of minimum 04 credits among the Papers taught in Semester I, III and VII***** (*****if listed as Minor for other faculty)
		If opted in VIII Semester	May select any paper of minimum 04 credits among the Papers taught in Semester II, IV and VIII***** (*****if listed as Minor for other faculty)

Note:-

1. At UG level the provision of multi-faculty is to be maintained as per NEP-2020.
2. At PG level MINOR paper is to be selected from other faculty.
3. A student cannot opt the same paper as MINOR at different levels.